कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्रमांक–11 / प्राविजा / 13 / 2020 / 4701 भोपाल,दिनांक : 30.10.2020

/ / आदेश / /

उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला ग्वालियर, से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संज्ञान में आया है कि दिनांक 30.10.2020 के अनुसार निरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा श्री अयूब खान, नमूना सहायक, ग्वालियर के विरूद्ध धारा 7,13(1)(बी), 13(2), पी.सी.एक्ट 1988 (संशाधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत दाण्डिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

अतः उपरोक्त के आलोक में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(ख) के अंतर्गत श्री अयूब खान नमूना सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सागर रहेगा, जहां से इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

क्रमांक–11 / प्राविजा / 13 / 2020 / 4702 भोपाल,दिनांक 30.10.2020

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जिला ग्वालियर / सागर की ओर सूचनार्थ।
2. उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला ग्वालियर / सागर की ओर सूचनार्थ।
3. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर / सागर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
5. श्री अयूब खान नमूना सहायक ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. स्था.–1,2,3 / लेखा की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

Scanned with CamScanner